ड्राईविंग लाईसेंस की डुप्लिकेट प्रति

I आधार

यदि किसी समय कोई ड्राईविंग लाईसेंस खो जाता है, खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो डुप्लिकेट लाईसेंस जारी किया जा सकता है।

II प्रक्रिया

ड्राईविंग लाईसेंस की डुप्लिकेट प्रति जारी करने के लिए आवेदन मूल लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को प्ररूप संख्या आर.एस. 2.3 में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हुए स्वयं उपस्थित होकर करेगा :–

1. स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र

2. तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

3- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 32 के अनुसार देय फीस –
   फॉर्म 6 में डुप्लिकेट जारी करने पर – 50 रूपये
   फॉर्म 7 में डुप्लिकेट जारी करने पर – 200 रूपये

नियमानुसार प्राप्त आवेदन एवं संलग्न प्रपत्रों की जाँच के पश्चात् संबंधित लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा डुप्लिकेट लाईसेंस, उस पर लाल स्याही से ''डुप्लिकेट '' की मोहर एवं जारी करने की दिनांक अंकित करते हुए जारी कर दिया जाएगा।

प्ररूप आर.एस. 2.3

चालन–अनुज्ञप्ति के खोने या नष्ट होने की सूचना और डुप्लीकेट के लिए आवेदन

सेवामें ,

अनुज्ञाप प्राधिकारी ....

1. मैं .... पूरा पता .... वर्तमान पता .... (पिता/पति का नाम) .... एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि–चालन अनुज्ञप्ति संख्या जो अनुज्ञापन प्राधिकारी .... द्वारा दिनांक .... को या उसके लगभग जारी की गई थी, वह निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गई/नष्ट हो गई है :–
2. मैं एतद्द्वारा डुप्लीकेट ड्राईविंग लाईसेस के लिए आवेदन करता हूं और विहित फीस .... रोकड़ी/धनादेश/चालन द्वारा निविदत करता हूं।
3. मैं अपने नये फोटोग्राफ की दो प्रतियां संलग्न करता हू।
4. मैं आगे घोषणा करता हूं कि मेरे ड्राईविंग–लाइसेंस को किसी प्राधिकारी द्वारा अपहृत (जब्त) नहीं किया गया है।
5. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि पिछली स्वीकृति/नवीकरण के दिन से न्यायालय द्वारा निम्नलिखित पृष्ठांकन/कोई पृष्ठांकन नहीं किया गया है।

पृष्ठांकन का दिनांक	न्यायालय	अपराध	दण्ड

दिनांक ....

आवेदक का हस्ताक्षर या अंगुष्ठ चिन्ह